



2026:AHC:17386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 906 वर्ष 2026

हरिओम कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कृष्णकांत तिवारी, सुनील कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि i) याचिकाकर्ता के दिनांक 09.12.2025 के अभ्यावेदन पर साधारण ब्याज सहित 2.76 लाख रुपये की जमा राशि की वापसी के संबंध में प्रतिपक्षी को आदेश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली निर्धारित अवधि के भीतर हो, या ii) प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के तहत इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किये जाए; iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि इसमें अंतर्निहित तकनीकी खामी है और याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।